



ओडिशा राज्य
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय
ओडिशा : भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (Audit-I)
Odisha : Bhubaneswar

परिपत्र/ Circular

विषय: रा.भा.का.स. की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालना ।
Subject: Compliance on the Minutes of the OLIC

दिनांक 01.05.2023 को सम्पन्न हुई मार्च 2023 तिमाही से संबंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कार्यवृत्त के सभी बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

Enclosed please find herewith the minutes of Official Language Implementation Committee meeting for the quarter ending March, 2023 held on 01.05.2023. Further, in this regard, you are requested to take immediate action on all the points of the minutes.

हस्ता/-

उपमहालेखाकार/ प्रशासन

DAG/Admin

जापन संख्या हि.प्रको./राभाकास/ कार्यवृत्त /11/2022-23/ 354

दिनांक/ Dated : 10.05.2023

Memo No. Hindi Cell/OLIC/Minutes/11/2022-23 / 354

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित

Copy forwarded for information and necessary action.

- 1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
- 2- निजी सहायक, वरिष्ठ उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/ IV/ Personal Asstt. Sr. DAG, AMG III/ IV
- 3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन/ ए.एम.जी. V/ Personal Asstt. DAG, Admn./AMG V
- 4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. II/ Personal Asstt. DAG, AMG II
- 5- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/ Personal Asstt. DAG, AMG I
- 6- कल्याण अधिकारी/ Welfare Officer.
- 7- नियंत्रणाधिकारी / शाखा अधिकारी - सभी शाखाधिकारियों से अनुरोध है कि परिपत्र में निर्दिष्ट बिंदुओं को अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी में लायें। Controlling Officer/ Branch Officer- All the Branch Officers are requested to kindly bring this circular along with its points to the notice of Officers/ employees under their control.

ए.एम.जी.- I	ए.एम.जी.- II	ए.एम.जी.-III	ए.एम.जी.-IV	ए.एम.जी.-V	ओ.एम. I एवं II
सम्पदा	ओ.ई.	प्र० एवं परीक्षा	प्रशासन	विधिक	रिपोर्ट
रिपोर्ट पी.ए.सी.	ई.सी.पी.ए.	सचिवालय	कल्याण		

8- शाखाधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया अनुलग्नक सहित इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

The Branch Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular along its enclosures on the website of this office.

9- सूचना पट्ट /Notice Board

10- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

अयुक्ता

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी
Sr. Audit Officer/ Hindi

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय
ओड़िशा, भुवनेश्वर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2022-23 की चतुर्थ बैठक (दिनांक 01.05.2023)
का कार्यवृत्त

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) कार्यालय, ओड़िशा भुवनेश्वर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिए वर्ष 2022-23 की चतुर्थ बैठक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) ओड़िशा, भुवनेश्वर श्री राज कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 01.05.2023 को अपराह्न 12.00 बजे आयोजित हुई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

- 1- श्री दीपक रघु, वरि. उप महालेखाकार , एएमजी II / IV
- 2- सुश्री मनालिका बॉर्गोहाइन, उप महालेखाकार प्रशासन/ एएमजी V
- 3- सुश्री तान्या अम्बष्ठ, उप महालेखाकार एएमजी I
- 4- श्री सचिन कृष्ण कौशिक, उप महालेखाकार/ एएमजी II
- 5- श्री अशोक कुमार पंडा, कल्याण अधिकारी
- 6- श्री बिबेकानंद दास, सचिव प्रधान महालेखाकार
- 7- श्री समीर कुमार पंडा, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन/प्रशि एवं परीक्षा)
- 8- श्री अवकाश खट्टूआ, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (एएमजी IV)
- 9- श्री दीपक मोहन्ति, वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी (कार्यालय स्थापना)
- 10- श्री आशीष कुमार महान्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एएमजी I
- 11- श्रीमती स्निग्धा मोहन्ति, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एएमजी II
- 12- श्री उपेन्द्र नाथ दास, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एएमजी II I
- 13- श्री आशुतोष प्रसाद प्रतिहारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी ओएम I/ हिंदी प्रकोष्ठ
- 14- श्री श्रीमंत कुमार पंडा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी रिपोर्ट पीएसी
- 15- श्रीमती आंखि सरकार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एएमजी V
- 16- श्री गिरराज शरण अग्रवाल, हिंदी अधिकारी (हिंदी प्रकोष्ठ)
- 17- श्री पुरुषोत्तम गिरि, वरि. अनुवादक
- 18- श्री राहुल कुमार वर्मा, कनिष्ठ अनुवादक
- 19- श्रीमती संयुक्ता जडिया, कनिष्ठ अनुवादक

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I)
ODISHA: BHUBANESWAR**

**Minutes of Official Language Implementation Committee meeting held on
01.05.2023 for the 4th quarter (31-03-2023) of year 2022-23**

Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) of the Office of the Principal Accountant General (Audit I), Odisha, Bhubaneswar for the quarter ending 31-03-2023 was held on 01.05.2023 at 12.00 noon under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit I), Odisha. The following members were present in the meeting.

1. Shri Deepak Raghu, Sr. DAG /AMG III/AMG IV
2. Smt. Manalika Borgohain, DAG Admn/AMG V
3. Miss Tanya Ambshtha, DAG/AMG I
4. Shri Sachin Krishna Kaushik, DAG AMG II
5. Shri Ashok Kumar Panda, Welfare Officer
6. Shri Bibakanand Das, Secretary to PAG
7. Shri Sameer Kumar Panda, Sr.A.O. (Admn./Trg. & Exam)
8. Shri Abakash Khatua, Sr.A.O. /AMG IV
9. Shri Deepak Mohanty , Sr.A.O. /OE
10. Shri Ashish Kumar Mohanty, Sr.A.O. (AMGI)
- 11 Smt. Snigdha Mohanty, Sr. A.O. AMG II
- 12 Shri Upendra Nath Das Sr.A.O. AMG III
- 13 Shri Ashutosh Prasad Pratihari, Sr A.O./O.M.I/Hindi Cell
- 14 Shri Shrimant Kumar Panda, Sr. A.O. /Report PAC
- 15 Smt. Ankhi Sarkar, AAO, AMG V
- 16 Shri Girraj Sharan Agrawal, Hindi Officer
- 17 Shri Purushottam Giri, Sr. Translator
- 18 Rahul kumar Verma, Jr. Translator
- 19 Smt. Sanyukta Jadia, Jr. Translator

वर्ष 2022-23 हेतु दिनांक 01.05.2023 को आयोजित चतुर्थ
राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, स्वागत भाषण के साथ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) महोदय की अध्यक्षता में शुरू हुई एवं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई:

2. सर्वप्रथम प्रधान महालेखाकार को वर्ष 2022-23 की चतुर्थ तिमाही (दिनांक 31.03.2023) के दौरान कार्यालय द्वारा 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में किए गए पत्राचार के आंकड़ों, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या एवं राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत जारी पत्रों की संख्या से अवगत कराया गया। विश्लेषण के दौरान पाया गया कि कार्यालय ने पत्राचार के लिए राजभाषा विभाग द्वारा 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक पत्राचार किया है। कार्यालय ने हिंदी टिप्पणी लेखन में भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है।
3. प्रधान महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय द्वारा "क" 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों में पत्राचार एवं टिप्पणी में लक्ष्यों की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने अगली तिमाहियों में हिंदी पत्राचार एवं हिंदी टिप्पण बढ़ाने पर जोर दिया।
4. प्रधान महालेखाकार महोदय ने अगली तिमाही में कार्यालय के कार्यालय प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं परीक्षा प्रकोष्ठ, संपदा प्रकोष्ठ, डी.ए. एवं आर.सी. एवं ए.एम.जी IV अनुभाग को पत्राचार के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य (अर्थात 'क', 'ख', एवं 'ग' क्षेत्रों हेतु 55%) प्राप्त करने के निदेश दिये। अग्रेतर प्रधान महालेखाकार महोदय ने प्रशासन अनुभाग, डी.ए. एवं आर.सी. एवं ए.एम.जी-IV अनुभाग को हिंदी टिप्पणी लेखन के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य (अर्थात 30%) नियमित रूप से प्राप्त करने के भी निदेश दिये।
5. अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा अधिकारियों को भी निदेश दिये कि वे राजभाषा विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने स्तर पर पहल करें। इस संबंध में, यदि आवश्यक हो तो, संबंधित अनुभाग हिन्दी प्रकोष्ठ से भी संपर्क करें।
6. कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक तिमाही बैठक में कार्यालय के सर्वश्रेष्ठ तीन (03) अनुभागों को तिमाही के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन शील्ड (चलनशील) प्रदान करने की सहमति प्रदान की है।

7. अध्यक्ष महोदय ने शाखा अधिकारी/ डी.ए. एवं आर.सी. को निदेश दिये कि इस कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) में नियमित रूप से अद्यतन एवं मॉनिटरिंग करना एवं द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) में निर्धारित प्रपत्र सहित परिपत्र/कार्यालय आदेश आदि को अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. अध्यक्ष महोदय ने संबंधित अनुभागों को निदेशित किया कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी सभी दस्तावेजों की प्रतियां रिकार्ड के लिए हिंदी प्रकोष्ठ में प्रेषित करें। अब से, उक्त दस्तावेजों को नियमित रूप से इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु डी.ए और आर.सी को प्रेषित करें।
9. अध्यक्ष महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक नियमित रूप से समाप्त तिमाही के अगले माह की 20 तारीख तक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। अतः अध्यक्ष महोदय ने निदेशित किया कि, सभी संबंधित अनुभाग, प्रत्येक तिमाही के अगले माह की 05 तारीख तक या उससे पूर्व, नियमित रूप से राजभाषा हिंदी तिमाही प्रतिवेदन, हिंदी प्रकोष्ठ को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों पर संबंधित अनुभाग के समूह अधिकारी का अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया ।

म. न. लि. का
10/5/23

सचिव/ रा.भा.का.स. एवं
उप महालेखाकार (प्रशासन)


Minutes of the 4th Quarterly Meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) for the year 2022-23, held on 01.05.2023

The meeting of the Official Language Implementation Committee (OLIC) commenced with the welcome address under the under the chairmanship of Shri Raj Kumar, Principal Accountant General (Audit-I). The following points were discussed in the meeting.

2. The Principal Accountant General was appraised of the figures in terms of correspondence to region 'A', 'B' & 'C' for the 4th quarter (31.03.2023) for the year 2022-23, number of documents issued under section 3(3) of Official Language Act, 1963 and number of letters issued under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976. During the analysis, it was observed that more correspondence in Hindi has been executed by the office in this quarter than the target laid down by the Official Language Department for the regions 'A', 'B' & 'C'. The office also achieved the target in term of noting in Hindi in this quarter as well.
3. The Principal Accountant General expressed his satisfaction for achieving the targets in terms of correspondence and noting in Hindi for the regions 'A', 'B' & 'C' and also directed to enhance the percentage of correspondence and noting in Hindi for ensuing quarters as well on regular basis.
4. The Principal Accountant General instructed OM Section, Training & Exam Cell, Estate Cell, DA & RC Cell, AMG-IV section of this office to achieve the prescribed target (i.e. 55% for 'A', 'B' & 'C' regions) in terms of correspondences in Hindi/ Bilingual. The Principal Accountant General also instructed Admin. Section, DA & RC and AMG-IV to achieve the prescribed target (i.e. 30%) in terms of noting in Hindi in the ensuing quarters as well on regular basis.
5. The Chairman directed all Branch Officers to take initiatives at their level for achieving the prescribed targets of Official Language Department on regular basis. Furthermore, in this regard, if required, Hindi Cell may be reached out.
6. The Chairman gave consent to bestow three Shields (Movable) to best performing three (03) sections of the office for executing their official work in Hindi to promote the use of Hindi in every quarterly meeting during the quarter.

7. The Chairman directed Branch Officer / D.A. and R.C. to ensure the updation and monitoring of the official website of this office in terms of bilingual (Hindi and English) and Circular/ Office Order etc. along with all prescribed forms are uploaded in bilingual (Hindi & English).
8. The Chairman also directed to the concerned sections to submit the copies of all the documents issued under section 3 (3) to Hindi Cell for record. Henceforth, the same must be sent to DA & RC for uploading to the website of this office on regular basis.
9. During meeting, it was brought to the notice of the Chairman that quarterly meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) is mandatory to be held by the 20th of the following month of every quarter on regular basis. In this regard the chairman strictly directed to all the concerned sections/ cells that Quarterly Report must be submitted to Hindi Cell **on or before 05th of the following month** of every quarter on a regular basis. **Further, an approval of Group officers of the concerned sections will be required**, in case of delay submission of the report.

The meeting concluded with a vote of thanks to the Chairman.


10/5/23

Secretary/ OLIC
Deputy Accountant General (Admn)